न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 05/2019 तारीख रजू :– 08.03.2019

पीठासीन अधिकारी – अनूपसिंह

R.A.S.

मैसर्स बाबूलाल सुरेन्द्र कुमार जरिये प्रोपराईटर सुरेन्द्र कमार शर्मा पुत्र श्री डूंगरमल जाति ब्राहम्ण निवासी गांधी सेवा सदन के पास, बयाना, जिला भरतपुर – आवेदक

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली———————— प्रतिपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट</u>

उपस्थित :– 1. श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट प्रार्थी

2. पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ

निर्णय

दिनांक :– 15-9-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्ध प्रतिपक्षी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि भूमि साबिक खसरा नम्बर 578 कि जिसके बाद सेटिलमेंट बने नवीन खसरा नम्बर 1128 रकबा 0.01 है0, 1129 रकबा 0.08 है0, 1130 रकबा 0.12 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन जिला करौली में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि भूमि वर्णित मद नं01 आवेदन पत्र को आवेदक सुरेन्द्र कुमार व बाबूलाल ने फर्म बाबूलाल सुरेन्द्र कुमार (पार्टनरशिप फर्म) के लिए रामजीलाल पुत्र किशनलाल ब्राहम्ण निवासी सूरौठ से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 28.05.1976 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि भूमि वर्णित मद नं01 आवेदन पत्र की खातेदारी आवेदकगण/ केतागण के नाम जरिये नामान्तकरण दर्ज करते समय लिपिकीय भूल से फर्म बाबूलाल सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल सूरौठ दर्ज

होकर इसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होता चला आ रहा है। जबकि बाबूलाल अग्रवाल, सुरेन्द्र कुमार शर्मा दर्ज होना चाहिए था कि जो लिपिकीय भूल है, उक्त प्रकार के अंकन के बने रहने से आवेदक को अकथनीय क्षति पहुँचने की पूरी पूरी सम्भावना है कि जो काबिल दुरूस्ती है कि जिरो दुरूस्त किया जाना आवश्यकीय एवं न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि भूमि की मौका स्थिति एवं कब्जे को लेकर दोनों पार्टनर बाबूलाल अग्रवाल व सुरेन्द्र कुमार शर्मा के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है और ना ही भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी की सम्भावना है। परन्तु सुरेन्द्र कुमार शर्मा के स्थान पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल दर्ज रहने से सुरेन्द्र कुमार शर्मा के विधिक अधिकारों की हक तलफी होने की सम्भावना है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूमि के राजस्व रिकार्ड में भूलवश किये गये गलत इन्द्राज को दुरूस्त किये जाने बाबत् आवेदक ने माह फरवरी 2019 के प्रथम सप्ताह में जानकारी होने पर तहसीलदार हिण्डौन से दिनांक 04.02.2019 को निवेदन किया तो प्रतिपक्षी ने आदेशित किया कि इस त्रुटि को दुरूस्त करने का अधिकार न्यायालय एस.डी.ओ. कम लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर हिण्डौन को है।

अतः निवेदन है कि प्रतिपक्षी को आदेश प्रदान किया जावे कि भूमि खसरा नम्बर 578 कि जिसके बाद सेटिलमेंट बने नवीन खसरा नम्बर 1128 रकबा 0.01 है0, 1129 रकबा 0.08 है0, 1130 रकबा 0.12 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन के हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खातेदार/ काश्तकार के नाम के अंकन में बाबूलाल सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल के स्थान पर बाबूलाल अग्रवाल वैश्य, सुरेन्द्र कुमार शर्मा दर्ज फरमाया जावे एवं अन्य अनुतोष जो न्यायोचित हो वह भी आवेदक को प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन ने उपस्थित होकर

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं01 राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 दस्तावेजों (प्रमाणित विक्रय पत्र) के अभाव में अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 दस्तावेजों (प्रमाणित नामान्तकरण) के अभाव में अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है, सिद्धभार वादी का है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 5 प्रमाणित दस्तावेजों एवं जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 6 में ग्राम सूरौठ के आराजी खसरा नम्बर 1128 रकबा 0.01 है0, 1129 रकबा 0.08 है0, 1130 रकबा 0.12 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.21 है0 में वादीगण द्वारा जमाबन्दी में दर्ज अंकन बाबूलाल सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल के स्थान पर बाबूलाल अग्रवाल वैश्य, सुरेन्द्र कुमार शर्मा के नाम डिक्री चाही गई है।

अन्त में निवेदन है कि ग्राम सूरौठ की वर्तमान जमाबन्दी सम्बत् 2077 से स्थायी के खाता संख्या 449 में खसरा नम्बर 1128 रकबा 0.01 है0, 1129 रकबा 0.08 है0, 1130 रकबा 0.12 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.21 है0 खातेदार फर्द बाबूलाल सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल सूरौठ दर्ज रिकार्ड है। वादीगण द्वारा बिना किसी साक्ष्य सबूत एवं प्रमाणित राजस्व दस्तावेजों के दावा प्रस्तुत किया है, जो किसी भी प्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः वाद खारिज योग्य है।

वकील आवेदक ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2034–37, नकल जमाबन्दी सं0 2038–41, नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74, नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.05.1976 उनवानी रामजीलाल पुत्र श्री किशनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन– विक्रेता बहक फर्म बाबूलाल सुरेन्द्र कुमार (रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म) वाके ग्राम सूरौठ तहसील

हिण्डौन – क्रेता के हक में साबिक आराजी खसरा नम्बर 578 रकबा 13 बिस्वा वाके ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन का बेचान किया गया है, फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस साबिक खसरा नम्बर 578 पेश किये हैं।

वकील आवेदक तथा प्रतिपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित। वकील आवेदक तथा प्रतिपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस सुनी गई। वकील आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है।

वकील आवेदक तथा प्रतिपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.05.1976 उनवानी रामजीलाल पुत्र श्री किशनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन– विक्रेता बहक फर्म बाबूलाल सुरेन्द्र कुमार (रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म) वाके ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन – क्रेता के हक में साबिक आराजी खसरा नम्बर 578 रकबा 13 बिस्वा वाके ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन का बेचान किया गया है।

नकल नामान्तकरण संख्या 316 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.05.1976 के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 578 रकबा 13 बिस्वा कस्बा हिण्डौन के खातेदार रामजीलाल पुत्र किशनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सूरौठ के स्थान पर फर्म बाबूलाल सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल सूरौठ के हक में भरकर दिनांक 03.09.1978 को तस्दीक किया गया है।

नकल जमाबन्दी सं0 2034–37 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 578 रकबा 13 बिस्वा वाके ग्राम सूरौठ की खातेदारी रामजीलाल पुत्र किशनलाल ब्राहम्ण नि0 ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण

सं0 316 दिनांक 03.09.1978 के द्वारा खसरा नम्बर 578 रकबा 13 बिस्वा फर्म बाबूलाल सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल सूरौठ के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2038–41 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 578 रकबा 13 बिस्वा वाके ग्राम सूरौठ की खातेदारी फर्म बाबूलाल सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल सूरौठ के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल सं0 2046–66 के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 578 रकबा 13 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 1128 रकबा 0.01 है0, 1129 रकबा 0.08 है0, 1130 रकबा 0.12 है0 कायम किये गये हैं।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 1128 रकबा 0.01 है0, 1129 रकबा 0.08 है0, 1130 रकबा 0.12 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम सूरौठ की खातेदारी बाबूलाल सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल सूरौठ खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त जबाव प्रार्थना पत्र के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 28.05.1976 उनवानी रामजीलाल पुत्र श्री किशनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन– विकेता बहक फर्म बाबूलाल सुरेन्द्र कुमार (रजिस्टर्ड पार्टनरशिपं फर्म) वाके ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन – केता के हक में साबिक आराजी खसरा नम्बर 578 रकबा 13 बिस्वा वाके ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन का बेचान किया गया है। जबकि नामान्तकरण संख्या 316 फैंसल दिनांक 03.09.1978 में केता का नाम फर्म बाबूलाल सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल सूरौठ दर्ज कर दिया गया तथा उक्त नामान्तकरण के आधार पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2034–37 एवं उसके बाद की समस्त जमाबन्दीयों में फर्म बाबूलाल सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल सूरौठ बदस्तूर होता चला गया। जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भी वही कम बदस्तूर चला आ रहा है। इस प्रकार प्रार्थी मुताविक रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 28.05.1976 के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 1128 रकबा 0.01 है0, 1129 रकबा 0.08 है0, 1130 रकबा 0.12 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम सूरौठ की खातेदारी

बाबूलाल सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल सूरौठ खातेदार के स्थान पर फर्म बाबूलाल सुरेन्द्र कुमार (रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म) वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ वर्तमान राजस्व रिकार्ड में संशोधन कराने का अधिकारी साबित है। प्रार्थी के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.05.1976 में केता एक फर्म है नां कि कोई व्यक्ति विशेष। इसलिए बाबूलाल व सुरेन्द्र कुमार की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जाति संशोधन करने के बजाय मुताविक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.05.1976 के अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने के आदेश तहसीलदार सूरौठ को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर नवीन खसरा नम्बर 1128 रकबा 0.01 है0, 1129 रकबा 0.08 है0, 1130 रकबा 0.12 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम सूरौंठ तहसील सूरौठ में खातेदारी के कॉलम में बाबूलाल सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल सूरौठ खातेदार के स्थान पर फर्म बाबूलाल सुरेन्द्र कुमार (रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म) वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ संशोधन करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 15-9-2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली